Research Chronicler: International Multidisciplinary Refereed Peer Reviewed Indexed Research Journal
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

क्रिप्स प्रस्ताव तथा मंत्रिमंडल योजना में देशी रियासतों की स्थिति : एक अध्ययन

प्रेमलता

एम॰ए॰, पी॰एच॰डी॰, (इतिहास), वैसा, खगड़िया, (बिहार) भारत

सार–संक्षेप

यह योजना भारतीय राजनीतिक नेताओं को 'व्यक्तिगत परामर्श' द्वारा और प्रारंभिक चरण में जनता को विश्वास में लिए बिना गोपनीय ढंग से स्वीकार कराई जानी थी। एमेरी ने दूत के चयन तथा चयन की पद्धति की वाइसराय को भेजे पत्र में (10 मार्च) इस प्रकार से व्याख्या कीः क्रिप्स, अव्वल दर्जे के तथा अत्यधिक नरम व्यक्ति हैं और जहाँ तक न्यायालय के बाहर किसी मामले को तय करने का काम हो और यही काम करने के लिए उनसे अब कहा जा रहा है इसके साथ ही प्रत्येक भारतीय रियासत संविधान से जुड़ने के पक्ष में मत रखने या मत न रखने के लिए स्वतंत्र होगी। इसमें से किसी भी स्थिति में नए संविधान में आवश्यकतानुसार इसकी संधि व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण पर समझौते की तर्क–वितर्क करना बहुत जरूरी होता है।

मुख्य शब्द–प्रस्ताव, साम्प्रदायिक, साक्षात्कार, व्यवस्था, अल्पसंख्यक, सांविधानिक

वर्तमान अध्याय में क्रिप्स प्रस्ताव तथा मंत्रिमंडल योजना में देशी रियासतों की स्थिति का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया गया है। क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित विभिन्न मुद्दों का भी विश्लेषण किया गया है।

क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय हाउस ऑफ कामन्स में चर्चित द्वारा 11 मार्च को घोषित किया गया। (अगस्त 1941 के वक्तव्य में) की गई सामान्य घोषणाओं को सुतथ्यता प्रदान करने और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति में भारत को सहायता देने के हमारे सच्चे इरादे के बारे में भारत के सभी वर्गों, प्रजापतियों और धर्मों को विश्वास दिलाने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा तैयार की थी, परन्तु इसका प्रकाशन हितकर नहीं था क्योंकि यदि भारतीय दुनिया के महत्त्वपूर्ण तत्वों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया तो ऐसे समय में भयानक संवैधानिक तथा साम्प्रदायिक झगड़े पैदा हो जायेंगे। जब भारत के दरवाजे पर दुश्मन दस्तक दे रहा है।[1] तदनुसार, युद्ध मंत्रिमंडल का एक सदस्य निजी तौर पर सलाह–मशविरा और मौके पर अपने को संतुष्ट करने भारत को भेजा जा रहा है कि घोषणा में शामिल किए गए निष्कर्ष अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। इस सदस्य का कार्य होगा कि न

केवल हिन्दू बहुमत से बल्कि उन महान अल्पसंख्यकों से भी पर्याप्त मात्रा में सहमति प्राप्त करे जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है और जो कई मानो में सर्वप्रधान है।

यह योजना भारतीय राजनीतिक नेताओं को 'व्यक्तिगत परामर्श' द्वारा और प्रारंभिक चरण में जनता को विश्वास में लिए बिना गोपनीय ढंग से स्वीकार कराई जानी थी। एमेरी ने दूत के चयन तथा चयन की पद्धति की वाइसराय को भेजे पत्र में (10 मार्च) इस प्रकार से व्याख्या कीः क्रिप्स, अव्वल दर्जे के तथा अत्यधिक नरम व्यक्ति हैं और जहाँ तक न्यायालय के बाहर किसी मामले को तय करने का काम हो और यही काम करने के लिए उनसे अब कहा जा रहा है।[2]

क्रिप्स 22 मार्च को नई दिल्ली पहुँचे। वाइसराय, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों और दूसरे सलाहकारों से प्रारंभिक बातचीत के बाद उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों, समूहों तथा समुदायों और रियासतों के कुछ प्रवक्ताओं से साक्षात्कार किया। स्वयं उन्होंने इन साक्षात्कारों की टीपें रखीं जो अब ऐतिहासिक जांच पड़ताल के लिए उपलब्ध है।[3] 29 मार्च को उन्होंने प्रेस सम्मेलन किया जिसमें घोषणा का मसौदा जनता के लिए जारी किया गया और इसमें निहित अर्थों को सरकारी दृष्टिकोण से समझाया गया। अगले दिन उन्होंने भारतीय जनता से इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने की अपील की। इसके बाद भारतीय नेताओं से आगे–विमर्श हुआ। 11 अप्रैल को एक प्रेस सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि घोषणा का प्रारूप वापस ले लिया गया है। अगले दिन वह लंदन के लिए रवाना हो गए।

घोषणा के प्रारूप में उल्लेख किए गए प्रस्तावित कदमों का उद्देश्य यह था : ऐसे नए भरतीय संघ की स्थापना, जो ब्रिटेन से तथा ब्रिटिश राजा के प्रति सर्वसामान्य निष्ठा के आधार पर अन्य डोमीनियनों से संबंद्ध डोमीनियन का संघटन करेगा, जो हर प्रकार से उन डोमीनियनों के समान होगा और अपने घरेलू या विदेशी मामलों के किसी क्षेत्र में भी किसी के अधीनस्थ नहीं होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाए गए कदमों को दो वर्गों में रखा जा सकता था : युद्ध के दौरान और युद्धोत्तर काल में नए संविधान के बनने तक 'सहकारी व्यवस्था' लागू रहेगी। लन्दन स्थिति ब्रिटिश सरकार को अपने विश्वव्यापी युद्धप्रयास के अंग के रूप में अनिवार्यतः भारत की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व वहन करना और उसका नियंत्रण तथा संचालन हाथ में रखना चाहिए। परन्तु भारत के नैतिक तथा भौतिक संसाधनों को पूर्णरूपेण संगठित करने का कार्य भारत के लोगों के सहयोग से भारत सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपने देश की, राष्ट्रमंडल की और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के नेताओं की तात्कालिक तथा प्रभावी साझेदारी वांछित तथा आमंत्रित थी।

दूसरा वर्ग युद्धोत्तर काल से संबंधित था। लड़ाई खत्म होने के फौरन बाद ही भारत में नया संविधान बनाने के लिए जिम्मेदार निर्वाचित निकाय की स्थापना के लिए कदम उठाए जाऐंगे। इस निकाय में ये सम्मिलित होंगे : (1) लड़ाई खत्म होने पर चुने जाने वाले प्रान्तीय विधानमंडलों के निम्न सदनों की सम्पूर्ण सदस्यता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, जो एकमात्र निर्वाचकमंडल के रूप में कार्य करेंगे, और (2) भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि जिन्हें सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के लिए अंगीकृत अनुपात के ही समान अनुपात के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या में से नियुक्त किया जाएगा और अधिकार ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों के अधिकारों के समान ही होंगे। पहले समूह के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा और चुने गए सदस्यों की संख्या निर्वाचकमंडल की संख्या का दसवां भाग होगी। संविधान निर्माता निकाय के निर्माण की पद्धति उस स्थिति में बदली जा सकती है जब लड़ाई खत्म होने से पहले प्रमुख समुदायों में भारतीय जनमत के नेता किसी अन्य पद्धति पर सहमत हो जाते हैं।

इस निकाय द्वारा निर्मित संविधान इन दो शर्तों के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत तथा तत्काल कार्यान्वित होगा : (1) ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त, जो नए संविधान को मानने के लिए तैयार न हो, अपनी वर्तमान सांविधानिक स्थिति चालू रख सकेगा, और इस बारे में प्रावधान किया जाएगा कि यदि वह चाहे तो बाद में शामिल हो सकता है। ऐसे अधिमिलन न करने वाले प्रान्तों के संबंध में ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण स्तर देते हुए जिस पर यहाँ निर्धारित कार्यविधि द्वारा पहुंचा गया हो नए संविधान पर सहमत हो सकती है। (2) ब्रिटिश सरकार और संविधान बनाने वाले निकाय के बीच संधि पर हस्ताक्षर होंगे। इसमें वे सब आवश्यक बातें शामिल होंगी जो ब्रिटेन से भारत को सत्ता के पूर्ण हस्तान्तरण से पैदा होंगी। इसमें प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए महामहिम की सरकार द्वारा दिए गए वचनों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा परन्तु यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य राज्यों के संबंध में भविष्य में निर्णय लेने के भारतीय संघ के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

प्रत्येक भारतीय रियासत संविधान से जुड़ने के पक्ष में मत रखने या मत न रखने के लिए स्वतंत्र होगी। इसमें से किसी भी स्थिति में नए संविधान में आवश्यकतानुसार इसकी संधि व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण पर समझौते की बातचीत करना जरूी होगा।

घोषणा का पहला महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि निर्माणाधीन भारतीय संघ जैसा कि लिनलिथगो ने 1940 में कहा था, वेस्ट मिंस्टर की संविधान की तरह का डोमीनियन होगा। भारतीय संघ भारतीयों द्वारा बनाए गए संविधान जिसकी संरचना संघीय होगी वाले नए भारत को दिया गया

था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में उसकी स्थिति उन शब्दों में परिभाषित की गई थी, जो क्रिप्स के कथनानुसार 1926 की बेल्फोर घोषणा की व्याख्या जैसे थे। वेस्टमिंस्टर की संविधान (1931) में डोमीनियन की परिभाषा नहीं थी, लेकिन उसने विभिन्न डोमीनियनों की इच्छानुसार उनकी संवैधानिक स्थिति स्थापित कर दी। बाद में हुई घटनाओं दक्षिण अफ्रिका व आरयलैण्ड ने इस तथ्य की स्थापना कर दी कि कानूनी तर्क जो भी हो, डोमीनियन पृथक् हो सकते थे। इस नुक्ते पर संदेह की सारी संभावना दूर करने के उद्देश्य से घोषणा ने राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य राज्यों के संबंध में भारतीय संघ के निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता दी। जैसा कि क्रिप्स ने कहा यह उनके साथ रहने या उनसे अलग होने के बारे में निर्णय ले सकता है।[5] पहले किसी अवसर पर ब्रिटिश सरकार के किसी प्रवक्ता ने ऐसा प्रतिबंधित वक्तव्य नहीं दिया था।

नेहरू व आजाद से एक भेंट में क्रिप्स ने समझाया कि डोमीनियन शब्द का प्रयोग सार का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की शैली का प्रश्न है, इसे हाउस ऑफ कामन्स या डोमीनियनों द्वारा की जाने वाली आपत्तियों को रोकने के लिए प्रयोग किया गया था। क्रिप्स का विचार था कि वे इसे मनोवैज्ञानिक महत्व देते थे, लेकिन किसी भी अर्थ में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव 11 अप्रैल को जारी में मान्यता दी गई कि प्रस्तावों में भावी स्वतंत्रता निहित होगी, लेकिन साथ में प्रावधान ऐसे हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता कोरी कल्पना रह जाए।[6]

प्रस्तावित परिवर्तनों की समय के संबंध में प्रेस सम्मेलन 29 मार्च में क्रिप्स ने दो बातें कहीं। एक, लड़ाई बंद होते ही युद्ध के समाप्त होने के बाद नहीं, जिसका मतलब और भी लम्बे समय की अवधि होता। प्रान्तीय चुनाव होंगे, और ज्योंहि उनके परिणाम मालूम होंगे, संविधान निर्माता निकाय की स्थापना कर दी जाएगी। दूसरा ज्योंहि संविधान बन जाएगा, उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत तथा कार्यान्वित किया जाएगा, और ज्योंहि यह लागू होगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा।[7]

संविधान निर्माता निकाय के निर्माण की जहाँ तक बात है, सभी ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों का इसमें भाग लेना अपेक्षित होगा और शामिल होने (अधिमिलन) या शामिल न होने के प्रश्न संविधान के बन जाने के बाद ही पैदा होगा। उस प्रश्न पर अंतिम निर्णय प्रत्येक प्रान्तीय विधानमंडल द्वारा लिया जायेगा। यदि हर मामले में 60 प्रतिशत से कम का बहुमत होगा तो बहुमत यह मांग कर सकेगा कि बालिग पुरुष जनसंख्या के बीच जनमत संग्रह द्वारा निर्णय हो। ऐसी मांग करने का आधार यह होगा कि विधानमंडल विभिन्न समुदायों की वास्तविक शक्तियों का सच्चा प्रतिबिंब नहीं है। जनमतसंग्रह सामान्य बहुमत द्वारा निर्णीत होगा।[8] घोषणा में इस विस्तृत कार्याविधि का

संकेत भी नहीं था, लेकिन इसकी रूपरेखा 29 मार्च को हुए प्रेस सम्मेलन में क्रिप्स ने रखी।

वायसराय को लिखते हुए 10 मार्च एमेरी ने कहा कि कांग्रेस की प्रतिकूल प्रतिक्रिया तब और भी अधिक प्रतिकूल होगी जब उन्हें मालूम होगा कि घोंसले में पाकिस्तानी कोयल का अंडा भी मौजूद है। एक पखवाड़े के बाद 24 मार्च उन्होंने लिखा कि वह जिन्ना से उम्मीद करते थे कि सार रूप में पाकिस्तान को पा जाने के बाद अब संतुष्ट होंगे। 25 मार्च को क्रिप्स ने जिन्ना से भेंट की और पाया कि अनधिमिलन (शामिल न होगा) संबंधी प्रावधान से वह कुछ अचम्बे में थे कि पाकिस्तान की मांग को मानने में अभी कितनी देरी है। बिना अपने को प्रतिबद्ध किए हुए उन्होंने विशेषतः बंगाल व पंजाब पर इसके प्रभाव की चर्चा करते हुए पूछा : क्या अपने ऐसा चाहने के समय के संविधान से बाहर निकलने के अपने विकल्प का प्रभावी अधिकार के रूप में प्रयोग कर सकेंगे? जनमतसंग्रह के विचार का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रश्न केवल यह है कि क्या अल्पसंख्यकों पर लागू सही संख्या 40 प्रतिशत है। 28 मार्च को उन्होंने विशेष रूप से अधिमिलन न करने वाले प्रान्तों को यह अधिकार देते हुए घोषणा के मसौदे में बदलाव का सुझाव दिया कि वे ऐसा संविधान प्राप्त कर सकें जो उन्हें भारतीय संघ के समान और यहाँ निर्धारित कार्यविधि के समान कार्यविधि द्वारा पूर्ण स्तर प्रदान करता हो। इस सुझाव को मान लिया गया।

संदर्भ ग्रंथसूची

1. मूर्तिपूजा में मेरा अविश्वास नहीं है। (यंग इण्डिया में गांधी का लेख, 12 अक्टूबर, 1921)
2. सीतारमैया : पूर्वोद्धृत खण्ड–।।, पृ०–312–13
3. मानसेर्ग : पूर्वोद्धृत खण्ड–।, सं०–304
4. वही, अध्याय 4 में दस्तावेज
5. मानसेर्ग :पूर्वोद्धृत खण्ड–।, सं०–456 आई०सी०डी०, खंड–4, पृ०–147–9
6. प्रेस सम्मेलन, 29 मार्च 1942, (मानसेर्गः पूर्वोद्धृत, खण्ड–।, सं०–440)
7. मानसेर्गः पूर्वोद्धृत, खंड–।, सं०–440, 496, 605। सीतारमैया : पूर्वोद्धृत, खण्ड–।।, पृ०–315 देखिए
8. मानसेर्गः पूर्वोद्धृत, खण्ड–।, सं०–440